IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

संख्या /ए–6/313 दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता षष्ठम वृत्त, आगरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म0) के अनुमोदनोंपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:–

क0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियो0 की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक सं0
1–	089025	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0–3, झाँसी की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	311.98	274/05/2019–20

1– कार्य की ई–निविदा का नियमानुसार व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए एवं परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उनका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3– परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

4– कार्य परिषद की कब्जा प्राप्त भूमि पर ही कराया जायेगा।

5– प्राक्कलन में ली गई दरों/बाजार दरों को आधार नही माना जायेगा। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

6– कार्यो में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सक्षम स्तर/परिषद में एप्रूब्ड ब्राण्ड के अनुसार प्रयोग की जाये। यदि किसी सामग्री का परिषद द्वारा अनुमोदित ब्राण्ड नही है तो कम से कम तीन ख्याति प्राप्त निर्माताओं की सामग्री का उल्लेख बी0ओ0क्यू0 में अवश्य किया जाये।

7– परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9– खण्ड द्वारा लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 आदि की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।

9– एन0जी0टी0 सम्बन्धित सभी नियमों का अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

10– निर्माण लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।

11– निर्माण कार्य के दौरान प्रयोग किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता का अवश्य परीक्षण करा लिया जाये एवं उचित गुणवत्ता के पानी का ही प्रयोग किया जाये।

12– कार्य 12 माह में पूर्ण करा लिया जाये।

13– बिटुमिन कार्य कराये जाने से पूर्व सीवर लाईन, जलापूर्ति लाईन सम्बन्धी सभी कार्य पूर्ण कर लिये जायें।

(विनीत सिंघल)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर
दिनांक: 16·03·2020

पृ0सं0: 936 /ए–6/313

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– आवास आयुक्त (म0) के निजी सचिव ।

2– मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0आवास एव विकास परिषद, लखनऊ।

3– वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

4– अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)/अधीक्षण अभियन्ता, षष्ठम वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,, लखनऊ/आगरा।

5– अधिशासी अभियन्ता (पी0–2)/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,, लखनऊ/झाँसी।

6– मूल्यांकन /सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

7– गार्ड फाईल।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर।